खण्ड-6, अंक-1, वर्ष-2018, मु0पृ0 114-118, D.O.I. : 10.22445/avsp.v6i1.13910 वैज्ञानिक/ज्ञानवर्धक आलेख

उत्तर प्रदेश विधान सभा का उद्भव, विकास तथा वित्तीय शक्तियाँ

राकेश चन्द्र
एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्राचार्य
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
rakeshchandra14@gmail.com

प्राप्त तिथि–18.09.2018, स्वीकृत तिथि–16.10.2018

सार– उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विकास का क्रम 1861 के इण्डियन काउन्सिल एक्ट से प्रारम्भ हुआ। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का वर्णन किया गया है तथा वित्तीय शक्तियों पर विधायी नियन्त्रण स्थापित है।

बीज शब्द– उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, वित्तीय शक्तियां।

Evolution, Development and financial Powers of Uttar Pradesh Legislature

Rakesh Chandra
Associate Professor and Principal
B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001, U.P., India
rakeshchandra14@gmail.com

Abstract-The evolution of Uttar Pradesh Legislation began by the Indian Council Act 1861. There are many provisions regarding U.P Legislation in Indian Constitution and there in legislative control over finances.

Key words- Legislative council of Uttar Pradesh, financial powers.

1. परिचय– विधायिका का उदभव– "इण्डियन काउन्सिल एक्ट 1861" के उपबन्धों के अधीन 1886 में गर्वनर जनरल के द्वारा 'उत्तर–पश्चिम प्रान्त तथा अवध' के लिए एक–एक विधान परिषद की स्थापना की गयी थी इस विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 थी।[1] सन् 1901 में इस प्रान्त का पुनर्गठन हुआ और इसका नाम 'आगरा और अवध का संयुक्त प्रान्त' कर दिया गया। सन् 1892 व 1909 के अधिनियमों द्वारा विधान परिषद की संख्या 'क्रमशः 15 व 50 कर दी गयी।[2] गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट 1919 के द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना की गयी और संयुक्त प्रान्त को गवर्नर के प्रान्त का स्तर प्रदान किया गया। विधान परिषद की सदस्य संख्या बढाकर 118 कर दी गयी। किसी विधेयक पर विचार करते समय गवर्नर को अधिक से अधिक दो सदस्यों को विधान परिषद में मनोनयन का अधिकार दिया गया जो उस विषय के विशेषज्ञ हों या जिन्हें विषेयक से सम्बन्धित विषय का अच्छा ज्ञान हो। इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियम के द्वारा विधान परिषद के लिए 100 निर्वाचित व 23 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। विधान परिषद का कार्यकाल 1 वर्ष था, यद्यपि गवर्नर को उसके कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार था।

2 **विकास–** गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट 1935 के द्वारा उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका के विकास का चरण आरम्भ हुआ। इस एक्ट के द्वारा द्विसदनात्मक विधान मण्डल की स्थापना की गयी, नव सृजित सदन का नाम–विधान सभा था।[3] 1953 के अधिनियम के अन्तर्गत गठित विधान सभा के सदस्यों की संख्या 228 तथा विधान परिषद के सदस्यों की सख्यां 60 थी। विधान परिषद की सदस्य संख्या के सन्दर्भ में अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि यह न तो 58 से कम और न 60 से अधिक होगी।[4] विधान सभा के सभी सदस्य निर्वाचित थे। सदस्यों का चुनाव प्रमुखतः क्षेत्रीय विशेष व्यवसायगत निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा होना था। तत्कालीन विधान सभा में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण नीचे **तालिका–1** में दिया जा रहा है।

तालिका–1

विधान सभा में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण

	कुल स्थान	**228**
	कुल सामान्य स्थान	140
	अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित स्थान(सामान्य)	20
	पिछड़ी जाति व पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिये आरक्षण	–
	सिक्खों के प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षण	–

	मुसलमानों के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षित स्थान	64
	यूरोपियनों के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षित स्थान	2
	भारतीय इसाईयों के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षित स्थान	2
	उद्योग, वाणिज्य, स्थान और कृषि से सम्बन्धित प्रतिनिधित्व	3
	भूमिपतियों का प्रतिनिधित्व	6
	विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व	1
	श्रमिकों का प्रतिनिधित्व	3
महिलाओं के लिए स्थान	औसत भारतीयों के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षित स्थान	1
	सामान्य	4
	सिक्ख	1
	मुस्लिम	2
	आंग्ल	1

इस संख्या में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित 20 स्थान ही सम्मिलित हैं। **तालिका–1** में उल्लिखित सामान्य स्थान प्रस्तुत सामान्य स्थान न होकर हिन्दुओं द्वारा निर्वाचित स्थान थे।[5] इसलिये क्षेत्र में उन्हें हिन्दू निर्वाचन क्षेत्र कहा गया है। इस अधिनियम में विधान सभा की सदस्यता हेतु अपेक्षित अर्हताओं और मतदाताओं के लिये आवश्यक योग्यताओं का विस्तृत उल्लेख किया गया था इसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य है कि उक्त दोनों परियोजनाओं के लिये कतिपय सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यतायें वांछित थीं।[6] मानवाधिकार की न्यूनतम आयु वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त के अनुसार 21 वर्ष निर्धारित की गयी थी। मताधिकार के लिये शैक्षिक योग्यताओं को भी निर्धारित किया गया था।[7] महिलाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध यह था कि उन्हें मताधिकार सम्बन्धी योग्यता रखने वाले पुरूषों की पत्नियां होने के कारण भी मतदान का अधिकार प्राप्त था।[8] विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का परन्तु राज्यपाल द्वारा उक्त अवधि के पूर्व भी गठित किया जा सकता था। इस अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि राज्यपाल प्रदेश में उत्पन्न संवैधानिक संकट की स्थिति में समस्त विधायी शक्तियां अपने हाथ में ले सकते थे, परिणामस्वरूप उस स्थिति में विधानसभा स्वतः विघटित हो जाती है।[9]

इसके अतिरिक्त राज्यपाल को विधान सभा को विघटित करने की स्वःविवेक शक्ति भी प्राप्त थी। वर्ष में कम से कम एक बार विधान सभा की बैठक होना आवश्यक थी।[10] विधान सभा को आहूत् करने तथा विसर्जित करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त था।[11] प्रान्तीय विधान सभायें अपने सदस्यों में से ही दो सदस्यों का चयन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में करती थीं जिनका प्रमुख कार्य विधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना (उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में) तथा कार्यवाही का संचालन करना होता था। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके विधान सभा उन्हें पद से हटा सकती थी परन्तु ऐसे प्रस्ताव का सदन के बहुमत द्धारा पारित होना तथा उसे प्रस्तुत करने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता था।[12] विधान परिषद के 60 सदस्यों में 34 स्थान सामान्य, 7 स्थान मुसलमान तथा 1 स्थान यूरोपियन प्रतिनिधि के लिये आरक्षित था। 18 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता था। भारतीय संविधान में इस प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश का नाम प्रयुक्त किया गया। संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल का उपबन्ध है। सविधान के अनुच्छेद 168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों सें मिलकर बनता है। अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहाँ किसी राज्य के विधान मण्डल के दो सदन हों वहाँ एक विधान परिषद तथा दूसरा विधान सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहाँ केवल एक सदन हो वहाँ वह विधान सभा के नाम से ज्ञात होगा।

3. **वर्तमान विधान सभा–** उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदनात्मक है– विधान सभा तथा विधान परिषद। विधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष–निर्वाचन द्वारा होता हैं।[13] अनुसूचित जातियों एवं जन–जातियों के प्रतिनिधित्व हेतु कतिपय स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।[14] आँग्ल–भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से राज्यपाल द्वारा उनके समुदाय में से एक सदस्य को विधान सभा में मनोनीत किया जा सकता हैं।[15] अनूसूचित जातियों तथा जन–जातियों के लिए निर्वाचन में स्थान आरक्षण तथा आँग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के विधान सभा में राज्यपाल द्वारा मनोनयन की व्यवस्था प्रारम्भ में संविधान द्वारा केवल 10 वर्षों के लिए दी गयी थी, किन्तु 8वें, 23वें, संविधान अधिनियम द्वारा उन्हें क्रमशः 10–10 वर्ष की वृद्धि की गयी। इस अवधि को पुनः 45वें संविधान संशोधन अधिनियम 1980 द्वारा अग्रिम 10 वर्ष अर्थात् संविधान लागू होने से 40 वर्ष तक कर दिया गया है। समय–समय पर संसद द्वारा इस प्रविधान की अवधि बढ़ाई जाती है। जो अद्यतन प्रभावी है।[16]

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सख्या 402 है। विधान सभा के निर्वाचन हेतु क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस प्रकार किया जाता हैं कि जनसंख्या व उसके लिये निर्धारित स्थानों का अनुपात सम्पूर्ण राज्य में एक सा रहे। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार किया जाता है।

4. **सदस्यों के लिये अर्हता–** विधान सभा की सदस्यता के लिए संविधान में मुख्य रूप से तीन अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं–(1) वह भारत का हो, (2) उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, (3) वह ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता हो जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। संविधान में विधान सभा की सदस्यता के लिए कुछ अनर्हताओं का भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने के लिए अनर्ह होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, यदि वह विकृत चित्त हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित कर दिया गया हो, यदि वह उन्मुक्त दीवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक न हो या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर चुका हो अथवा यदि वह संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह घोषित कर दिया गया हो। संसद द्वारा निर्मित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विधान मण्डल की सदस्यता के लिये निम्नलिखित अनर्हताओं का उल्लेख किया गया है–

(1) यदि वह निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध का अपराधी हो,
(2) किसी न्यायालय द्वारा उसे कम से कम 2 वर्ष की सजा दी गयी हो,
(3) वह निर्धारित समय में अपने निर्वाचन व्यय का हिसाब देने में असफल रहा हो,
(4) किसी सरकारी नौकरी से वह भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला गया हो,
(5) सरकार से सम्बन्धित किसी अनुबन्ध या कारखाने का हिस्सेदार हो।

परन्तु अधिनियम में यह भी उपबन्धित है कि उक्त अनर्हतायें पाँच वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहती है।[17] राज्य विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है।[18] राज्यपाल विधान सभा को समय से पूर्व भी विघटित कर सकता है।[19] आपात स्थिति के समय विधान सभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है तथा किसी भी अवस्था में आपात स्थिति की उद्घोषणा के अन्त हो जाने पर 6 मास से अधिक नही बढ़ाया जा सकता।[20]

विधान सभा के आवाहन तथा विसर्जन का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। इस सम्बन्ध में संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल समय–समय पर राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा कि वह उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अन्तर न होगा।[21]

5. **अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष–** विधान सभा का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 178 में कहा गया हैं। कि ''राज्य की प्रत्येक विधान सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन विधान सभा की कालावधि के लिए किया जाता है। अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन का कार्य संचालन करना है। इस उददेश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रस्तावों की स्वीकृत और उन पर वाद–विवाद की अनुमति अध्यक्ष देता है। वह वाद–विवाद को नियन्त्रित करता है और विभिन्न सदस्यों को वाद–विवाद में भाग लेने की अनुमति प्रदान करता है। सदन की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण चलाने के लिए अध्यक्ष को सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही करने का अधिकार है इसके सदस्यों का सदन से निष्कासन और निलम्बन आदि सम्मिलित है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष उसके पद के कर्तव्यों का पालन करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की दशा में सम्बन्धित सदन के अध्यक्ष द्वारा सदन की अध्यक्षता हेतु एक अधिष्ठाता मण्डल के नाम निर्देशन की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियम 10 में कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने पर अध्यक्ष सभा के सदस्य में से अधिक से अधिक 10 सदस्यों का एक अधिष्ठाता मण्डल निर्देशित करेंगे और उनमें से कोई एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थिति होने पर सभा की अध्यक्षता करेगा।[22]

6. **विधान मण्डल की वित्तीय शक्तियां–** व्यवस्थापिका द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय(बजट) का परीक्षण व स्वीकृति है। संविधान के उपबन्धानुसार राज्यों में राज्यपाल अथवा उसके प्रतिनिधि (अधिकांशतः वित्त मंत्री) द्वारा राज्य विधान मण्डल के सदन अथवा सदनों (जहाँ दो सदन हों वह सर्वप्रथम विधान सभा में) के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में प्राक्कलित प्राप्तियाँ और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।[23]

संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकरण के बिना कोई भी कर आरोपित अथवा संग्रहीत नही किया जा सकता है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को बिना संसद तथा सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल की अनुमति के, कर लगाने अथवा धन व्यय करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमानुसार आय व्ययक राज्यपाल द्वारा नियत तिथि पर सदन में प्रस्तुत किया जाता है तथा जिस दिन आय–व्यय सदन के समक्ष रखा जाता है उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती है।[24] आय–व्यय के विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने के बाद सदन में उस पर पहले साधारण चर्चा होती है। इसके उपरान्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान होता है। आय–व्यय पर अथवा उसमें निहित सिद्धान्तों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा हेतु सामान्यतः 5 दिन की अवधि निश्चित की गयी है।[25] साधारण चर्चा की समाप्ति के बाद सम्बन्धित मंत्री अपनी मांगें प्रस्तुत करते हैं। अनुदान के मांगों का क्रम नेता सदन और विरोधी दल के नेता के परामर्श से किया जाता है।[26] सदन द्वारा किसी अनुदान की मांग को कम करने या उसके किसी मद को निकाल देने का प्रस्ताव किये जा सकते हैं किन्तु अनुदान की मांग में वृद्धि या उसके लक्ष्य में परिवर्तन करने के प्रस्ताव नही किये जा

सकते हैं, तथा इसके अतिरिक्त किसी मांग को कम करने के करने के प्रस्ताव पर संशोधन करने की अनुज्ञा नहीं होती है।[27] किसी अनुदान में कटौती हेतु नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययता कटौती तथा प्रतीक कटौती के प्रस्ताव किये जा सकते हैं–

नीति अनुमोदन कटौती– इसका उददश्ेय मांगों में अन्तर्निहित नीति का अनुमोदन करना होता है तथा इसका स्वरूप होता है कि मांग की राशि घटाकर 1 रू0 कर दिया जाये।
मितव्ययता कटौती– इसका उददेश्य प्रशासन में मितव्ययता लाना होता है तथा इसका स्वरूप "मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाय" होता है।
प्रतीक कटौती– इसका प्रस्ताव शासन के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में किसी विशिष्ट शिकायत प्रकट करने के लिए किया जाता है तथा इसके प्रस्ताव का स्वरूप "मांग की राशि में कमी की जाय" होता है।[28]

विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांगों और संचित निधि पर भारित व्यय को मिलाकर एक विधेयक का रूप दे दिया जाता है जिसे वार्षिक विनियोग विधेयक कहा जाता है। यह पूरे व्यय के लिए विधान सभा की अनुमति लेने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक के पारित होने की वही प्रक्रिया है जो धन विधेयक के लिए निर्धारित है। इस सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध है कि अनुदान की राशि में अथवा अनुदान के लक्ष्य को अथवा राज्य की संचित निधि पर पारित व्यय में संशोधन नहीं किया जा सकता है।[29] विनियोग विधेयक आगामी व व्यय से सम्बन्धित होता है।

संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य की संचित निधि से कोई धनराशि विधायी स्वीकृति के बिना नहीं निकाली जा सकती है और यह स्वीकृत एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है। किन्तु यदि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें कि 31 मार्च के पूर्व आय–व्यय सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाएं न पूर्ण हो पाये तो ऐसी स्थिति के समाधान हेतु भारतीय संविधान में लेखानुदान का प्रावधान किया गया है।[30] ''लेखानुदान वर्ष के व्यय को पूर्ण एवं विस्तृत स्वीकृति दिये जाने के पूर्व प्राक्कलित अंशकालिक व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान है।''[31,32]

7. **निष्कर्ष–** सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय विधान पालिकाओं के अपने विशेषाधिकारों के अनुरक्षरण हेतु पर्याप्त स्वतंत्र क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

सन्दर्भ

1. पचौरी, पी० एस0(1974) ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ लेजिस्लेचर इन उत्तर प्रदेश, दि जर्नल ऑफ दि पार्लियामेंट्री इनफॉर्मेशन, खण्ड–10, पृ0 19।
2. उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर–25 हिस्टॉरिकल स्केच, प्र० पत्र 16।
3. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 धारा 60(2)।
4. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 धारा 61, पंचम अनुसूची पृ0 245।
5. कीथ, ए0 बी0(2011) ए कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया 1600–1935, लो प्राईज संस्करण, पृ0 353।
6. संयुक्त प्रान्त में न्यूनतम प्राथतिक स्तर की शिक्षा आवश्यक थी।
7. पुनैयया, के0 बी0(1938) दि कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, पृ0 384।
8. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट 1935, धारा 61(2)।
9. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935, धारा 62(2)।
10. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935, धारा 62(1)।
11. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935, धारा 62(2)(ए व बी)।
12. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935, धारा 61(1) व (2)।
13. अनुच्छेद 168(3)।
14. अनुच्छेद 332
15. अनुच्छेद 333।
16. अनुच्छेद 173।
17. शुक्ला, वी0 एन0, दि कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, पृ0 236।
18. 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह अवधि बढाकर 6 वर्ष कर दी गयीं
19. किन्तु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया है।
20. अनुच्छेद 174।
21. अनुच्छेद 172।
22. अनुच्छेद 174(1)।
23. वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाता है।
24. अनुच्छेद 202।
25. नियम 183 व 184
26. नियम 187।

27. नियम 183(2)।
28. नियम 188(4 व 5)।
29. नियम 189 (क), (ख), (ग)।
30. अनुच्छेद 204(2)।
31. अनुच्छेद 206।
32. मोरे, एस0 एस0(1960) प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ इण्डियन पार्लियामेंट, ठाकर एण्ड कं0, मुंबई, पृ0 443।